अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सुभाषचन्द्र वि. अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी स.

अपील संख्या

16.10.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलार्थी उप.। अभिभाषक अपीलार्थी बहस हेतु समय चाहते हैं जो दिया जाता है आगामी बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 17/11/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
17.11.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलार्थी उप. नहीं। अभिभाषक अपीलार्थी एवं अपीलार्थी को कई बार रूक-रूक कर आवाज दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 149 /2025 जिला ब्यावर

2025/149

1. सुभाष चन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री राम निवास त्रिपाठी (भूतपूर्व सैनिक), जाति ब्राह्मण निवासी जालिया–2, तहसील मसूदा, हाल बिजयनगर जिला ब्यावर।

.... अपीलांट

बनाम

1. अध्यक्ष भू–आवंटन सलाहकार समिति, मसूदा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा, हाल बिजयनगर जिला ब्यावर।

.... रेस्पोन्डेटस्

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जी, मसूदा, जिला ब्यावर दिनांक 19.02.2025 जो कि प्रार्थना पत्र संख्या 17/2020 (2020/00065) उनवानी सुभाष चद्र त्रिपाठी बनाम अध्यक्ष भू आंवटन सलाहकार समिति में पारित किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 12/3/25

2025/149 12/3/25 मान्यवर

अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/आवेदक ने एक प्रार्थना पत्र भू आवंटन हेतू जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर को प्रस्तुत किया जिसे उन्होने जिलाधीश अजमेर को प्रेषित कर दिया और जिलाधीश अजमेर द्वारा इस प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी मसूदा को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतू उन्हे दिनांक 24.12.2012 को प्रेषित कर दिया। प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत् भू आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र बतौर भूतपूर्व सैनिक उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हलका द्वारा विस्तृत जॉच की गयी और पटवारी हलका ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.01.2013 में प्रार्थी को भूमिहीन कृषक मानते हुए उसे सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 2089/3 रकबा 61 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बीघा हाल खसरा नम्बर 3173/3144 रकबा 6.8283 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने की सिफारिश की और आंवटन सलाहकार समिति ने प्रशासन